भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2013

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

वेतन रोजगार के स्थान पर स्वरोजगार को अपनाया जाना

2013 श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-2024 तक वेतन रोजगार के स्थान पर स्वरोजगार को अपनाने वाले लोगों के संबंध में आंकड़े क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वरोजगार प्राय अल्पार्जक और अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, रोजगार की निम्न गुणवत्ता, जैसा स्वरोजगार की तरफ झुकाव से प्रतीत होता है, के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) वेतन रोजगार की कमी के कारण मांग आधारित स्वरोजगार अपनाने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) यानी रोजगार संकेतक (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

इसके साथ-साथ, देश में रोजगार का औपचारिकीकरण इस तथ्य से देखा गया है कि सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के बीच 7 करोड़ से अधिक अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हो गए हैं।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी, जिसका उद्देश्य पाँच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो www.pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध है तथा जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है।

महिलाओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (खोजी अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) आदि शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देश भर के युवाओं को शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत, 2015 से 31.10.2024 तक, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में 1.57 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 24.37 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी महिला कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

****